राजस्थान सरकार

निदेशालय पशुपालन, जयपुर

क्रमांकः–एफ0वी0 77(2)प्रजनन/SPCA/पर्यवेक्षण सैल/2019–20/ दिनांकः–

समस्त जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग,
एवं सदस्य सचिव,
जिला पशु क्रूरता निवारण समिति,
राजस्थान ।

विषयः– राजस्थान राज्य में Prevention of Cruelty to Draught and Pack Animals Rule, 1965 के नियम 8 की अनुपालना करवाने बाबत।

प्रसंगः– 1. शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान के डायरी कमांक 7600/SAH/20 दिनांक 10.06.2020 द्वारा प्रेषित डॉ. मणिलाल वालियते, पीटा इंडिया का मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को संबोधित ई–मेल दिनांक 09.06.2020

2. भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का पत्रांक 9–5/2014–15/PCA दिनांक 01.07.2014

3. निदेशालय पशुपालन, जयपुर द्वारा जारी पत्रांक एफ.वी./उ.नि.गो./भा.जी.ज.क.बो./ प.क्रू.नि./2013–14 दिनांक 25.08.2014

विषयान्तर्गत डॉ. मणिलाल वालियते, COE, PETA इंडिया ने मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को संबोधित प्रासंगिक ई–मेल दिनांक 09.06.2020;05:24 PM द्वारा राजस्थान राज्य में Prevention of Cruelty to Draught and Pack Animals Rule, 1965 के नियम 8 एवं भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के पत्रांक No. 9–5/2014–15/PCA दिनांक 01.07.2014 मे जारी निर्देशों की तुरन्त अनुपालना करवाने हेतु निवेदन किया है।

उल्लेखनीय है कि Prevention of Cruelty to Draught and Pack Animals Rule, 1965 के नियम 8 के प्रावधनों के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी वाहन को चलाने या उसकी सवारी करने के लिये या वाहन को खींचवाने के लिये या अन्यथा इसे नियंत्रित करने के उद्दश्य से किसी नुकीली छडी या बिट, कील नॉब या उभार युक्त हारनेस/योक, या अन्य कोई. उपकरण, जो जानवर के लिये चोट, सूजन, खरोंच या दर्द का कारण है अथवा बनना संभावित है का उपयोग नहीं करेगा। अतः भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के पत्र दिनांक 01.07.2014 के अनुसारण में निदेशालय पशुपालन के पत्रांक एफ0वी0/उ.नि.गो./भ.जी.ज.क.बो./प.क्रू.नि./2013–14 दिनांक 25.08.2014 द्वारा समस्त जिलों को उपरोक्त स्पाइक्ड/कांटेदार बिट की बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध का कड़ाई से पालना करवाने हेतु निर्देशित किया जा चुका था।

डा. वालियाते ने प्रासंगिक ई–मेल द्वारा अवगत करवाया है कि प्रतिबंध के बावजूद भी राज्य में कुछ लोगों स्पाइक्ड/कांटेदार बिट की बिक्री एवं उपयोग कर रहे हैं। अतः उक्त प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि प्रकरण जिला कलेक्टर के प्रसंज्ञान में लाते हुए जिले मे Prevention of Cruelty to Draught and Pack Animals Rule, 1965 के नियम 8 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(डा. वीरेन्द्र सिंह)
निदेशक

क्रमांकः–एफ0वी0 77(2)प्रजनन/SPCA/पर्यवेक्षण सैल/2019–20/1071–1105 दिनांकः– 2-7-2020
प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. समस्त जिला कलक्टर एवं पदेन अध्यक्ष, पशु क्रूरता निवारण समिति, राजस्थान।
2. डॉ. मणिलाल वालियते, पीटा, इंडिया को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राज्य में Prevention of Cruelty to Draught and Pack Animals Rules-1965 पूर्व से ही लागू है। भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के पत्रांक 9–5/2014–15/पीसीए दिनांक 01.07.2014 के अनुसरण में निदेशालय, पशुपालन, जयपुर के पत्रांक एफ.वी./उ.नि.गो./भा.जी.ज.क.बो./प.क्रू.नि./2013–14 दिनांक 25.08.2014 द्वारा तत्समय ही आदेश प्रसारित कर दिए गये थे, एतदद्वारा पुनः आदेश प्रसारित किए जा चुके है। यदि आपके संगठन के पशु कल्याण कार्यकर्ता (Animal Activist) के प्रसंज्ञान में PCA नियमों के उल्लंघन का प्रकरण आता है तो सीधे ही पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाया जाना अथवा जिले की पशु क्रूरता निवारण समिति में शिकायत दर्ज करना अपेक्षित है।

निदेशक